न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ 0 टी0 सी0 प्रथम), सुलतानपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1791/2026

उपस्थितिः- श्री विजय कुमार गुप्ता II

(U.P. J.O.code no-1802)

UPST010054452026

1. मो० सैफ उम्र लगभग 23 साल सुत मुमताज निवासी घोसियाना वार्ड नम्बर-10 नगर पंचायत मुसाफिरखाना थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

-आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य -विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या-126/2026,
अन्तर्गत धारा-87 भारतीय न्याय संहिता,
व धारा-3/5 यू०पी० विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम
थाना-मुसाफिरखाना, जिला अमेठी।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त मो० सैफ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-126/2026, अन्तर्गत धारा-87 भारतीय न्याय संहिता, व धारा-3/5 यू०पी० विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, थाना मुसाफिरखाना, जिला अमेठी में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा सम्बन्धित थाना पुलिस की आख्या सहित केस डायरी का परिशीलन किया गया। जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अनुराग अग्रहरि द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त अभियोग में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष न तो कभी दिया गया है और न ही विचाराधीन है न निर्णीत किया गया हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई दोष सिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है महज रंजिशन गलत तथ्यों के आधार पर निराधार झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी न तो वादी मुकदमा की बहन को बहला फुसलाकर भगाया है और न ही धर्म परिवर्तन कराया है। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाकर प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाया गया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से व विधिक राय मशविरे से दर्ज करायी गयी है सम्पूर्ण एफ० आई० आर० में

विलम्ब का कोई समुचित स्पष्टीकरण न दर्शाये जाने से भी अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। कथित घटना के वादी मुकदमा द्वारा भ्रामक तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट व 180 व 183 बी०एन०एस०एस० में परस्पर विरोधाभाष होने से भी अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। वादी मुकदमा की बहन नन्दनी की आयु 19 वर्ष है जो कि पूरी तरह से बालिग है और अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानती है उसे बहला फुसलाकर भगाने या जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है जिस कारण भी अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। कथित घटना के सम्बन्ध में जनता का कोई प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र साक्षी न होने से भी अभियोजन कथानक हास्यास्पद तथा मनगढन्त प्रतीत होता है। प्रार्थी व वादी मुकदमा की बहन नन्दनी एक ही कालेज में पढ़ते थे नन्दनी स्वयं ही प्रार्थी से प्रेम करती थी और वह स्वयं ही प्रार्थी से शादी करने का दबाव बनाती थी और स्वयं ही प्रार्थी के साथ भागकर गयी थी। प्रार्थी के विरूद्ध प्राइमाफेसी उपरोक्त धाराओं का कोई जुर्म नहीं बनता है प्रार्थी पर लगाया गया आरोप पूरी तरह से असत्य व निराधार तथा बेबुनियाद है। जिस प्रकार से घटना का होना कहा जाता है उस प्रकार से घटना का होना प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रार्थी/अभियुक्त का एक प्रार्थना पत्र जमानत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न जमानत प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थी को दौरान मुकदमा उचित जमानत एवं मुचलके पर रिहा करने की कृपा की जाय।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी की ओर से जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता व ए०डी०जी०सी० दाण्डिक एवं वादी अधिवक्ता को सुना तथा सम्बन्धित थाने की आख्या सहित केस डायरी का परिशीलन किया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, "प्रार्थी अनुराग अग्रहरि सुत श्री सुनील कुमार अग्रहरि निपता वार्ड नं 10 घोसियाना, नगर पंचायत मुसाफिरखाना, थाना कोतवाली मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी का मूल निवासी है। विदित हो कि प्रार्थी की छोटी बहन उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्री सुनील कुमार अग्रहरि दिनांक–24.05.2026 को समय लगभग 04:00 बजे घर से लापता है जो कि शैफ पुत्र मुमताज निपता वार्ड नं 10 नगर पंचायत मुसाफिरखाना के साथ पढ़ती थी जो कि बहला फुसला करके अपने भाई के साथ भगाया है। जिससे मेरी बहन माता जी की जेवर तथा नकदी लेकर गायब हो गयी है। जिस कारण उक्त प्रार्थी के बहन की खोजबीन किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रार्थी के बहन की खोजबीन करते हुए विपक्षी के खिलाफ उचित कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाय।"

6. पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा है कि, "मेरी उम्र 19 वर्ष है। मैं अपने दोस्त सैफ पुत्र मुमताज निवासी मु० खाना गल्ला मण्डी के साथ घर के सामने से दिनांक 24.05.2026 को घर से बिना किसी से बिना किसी को बताये बुर्का पहनकर उसके साथ धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए निकली थी। मै सैफ को पिछले 5 से 6 साल से जानती हूं। वह मेरा दोस्त भी है। उससे बात हुई तो वह बोलो चलो भाग कर शादी कर लेते है। अब मै बालिग हो गयी थी तो सैफ के कहने पर घर से निकली तथा घर वालो को बिना बताये दिनांक–24.05.2026 को शाम 03.30 बजे करीब में घर से निकली थी। उसके साथ लखनऊ गई वहां रात रूकी अगले दिन लखनऊ से दिल्ली फिर वहाँ से गुडगांव तथा वहां से भिवाडी गई थी।"

7. पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा है कि, "मै पिछले छः वर्षों से सैफ को जानती हूं। मैं तब से उससे लगातार बात करती आ रही हूं। मै 24.05.2026 को शाम 30.30 बजे को अपने घर निकली। लड़का भाड़े की गाडी लखनऊ से 4 पहिया लेकर आया था। मैं उसके साथ गाड़ी पर बैठकर लखनऊ चली गयी। मै होटल में लखनऊ में 45 घण्टे रही। फिर वहां से बस से हम दोनो दिल्ली गये फिर वहा से मेट्रो से गुडगांव गये। गुडगांव के बाद भिवाडी आटों से गये। भिवाडी में रूम लेकर हम दोनो रातभर रहे थे। हमारे बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने मेरे साथ कोई जबदस्ती नही की।

8- पत्रावली के अवलोकन से स्ष्पट है कि पीड़िता की जन्मतिथि भरत पब्लिक स्कूल मुसाफिरखाना अमेठी द्वारा प्रस्तुत किये गये कक्षा 08 के सर्टिफिकेट के अनुसार दिनांक-08.07.2006 है। प्रस्तुत प्रकरण की घटना की तिथि दिनांक-24.05.2026 को पीड़िता की उम्र करीब 19 वर्ष 10 माह थी। पीड़िता पढ़ी लिखी है तथा घटना की तिथि पर वयस्क व बालिग थी तथा अपना अच्छा बुरा सोचने में सक्षम थी। पीड़िता ने अपने बयान 180 बी०एन०एस०एस० व 183 बी०एन०एस०एस० में यह कहीं कथन नहीं किया गया है कि उसे विवाह करने अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश के आशय से उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका अपहरण किया गया अथवा पीड़िता पर अभियुक्त द्वारा दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन का प्रयोग करके धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दिनांक-27.05.2026 से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामलों के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मो० सैफ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-126/2026, अन्तर्गत धारा- 87 भारतीय न्याय संहिता व धारा-3/5 यू०पी० विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, थाना- मुसाफिरखाना, जिला अमेठी में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0-75,000/-(पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/अवर न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

1. प्रार्थी/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उन पर दबाव डालने का कोई प्रयास इत्यादि करेगा।

2. अभियुक्त विचारण के दौरान आरोप विरचन की तिथि पर तथा बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/ धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किये जाने की तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

3. अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा और न ही उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करेगा।

4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन-जी-2 दिनांकित-03.07.17 इलाहाबाद के अंतर्गत दाण्डिक अपील संख्या 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.16 विवरण के साथ प्रतिभू के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

sd/-
(विजय कुमार गुप्ता-II)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ 0 टी0 सी0 प्रथम),
सुलतानपुर
(U.P. J.O.code no-1802)

दिनॉक-18.06.2026

Ganesh chandra pal
(stenographer)